न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/93/2024 रजू दिनांकः 19.07.2024 रजि0 न0 2024/168

अपीलार्थीः–
श्री राजसिंह पुत्र श्री जयनारायण, निवासी C/o माटी मोटर्स नियर बस स्टैंड, ओल्ड तिजारा रोड़, आलमपुर, भिवाड़ी, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर राजस्थान।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 20.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 30.07.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक नविवि/आर.टी.आई/2024/3738 दिनांक 26.07.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.06.2024 को न्यास कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना न्यास पत्र 2400–01 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी बीडा, भिवाड़ी, जिला अलवर को अंतरित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में न्यास पत्र 2400–01 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी बीडा, भिवाड़ी, जिला अलवर को अंतरित किया जाना अवगत कराया है, किन्तु जवाब के साथ संलग्नक प्रति में जवाब में दर्शाये गये पत्रांक एवं दिनांक का कहीं भी अंकन नही होने के कारण जवाब उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें एवं सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)